प्रेस नोट- थाना रामचन्द्र मिशन
जनपद शाहजहाँपुर
सराहनीय कार्य दिनाँक – 17.11.2026

थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा हवाई फायरिंग की घटना से संबंधित पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा 32 बोर सहित किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.11.2026 को वादी मुकदमा श्री अनूप मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र राजबहादुर मिश्रा निवासी मोहल्ला तारीन गाड़ीपुरा, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामचन्द्र मिशन पर मु0अ0सं0 207/26 धारा 191(3), 352, 351(3), 125 बीएनएस के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी, वादी के पुत्र एवं उसके दोस्त के साथ गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा वादी के घर जाकर तमंचे से फायर करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17.11.2026 को थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम शांति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान पुत्तूलाल चौराहे के पास मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 09.11.2026 को मोहल्ला तारीन गाड़ीपुरा में हवाई फायरिंग करने वाला अभियुक्त अतुल शर्मा उर्फ शानू शर्मा दून स्कूल के पास हाईवे की तरफ खड़ा है तथा कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम अतुल शर्मा उर्फ शानू शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी मोहल्ला झंडा कलां, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 35 वर्ष बताया। दिनांक 09.11.2026 को तारीन गाड़ीपुरा में घटित घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने प्रारंभ में घटना में शामिल होने से इनकार किया। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा अपने मोबाइल में उपलब्ध घटना से संबंधित वीडियो दिखाकर हवाई फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान कराई गई, जिस पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उक्त दिन तमंचे से फायर उसी ने किया था। तमंचे के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसने तमंचा बरेली-सीतापुर हाईवे से सराय कांझा जाने वाले रास्ते के पास ईंटों में छिपाकर रखा है तथा वह बरामद करा सकता है। इसके बाद पुलिस टीम अभियुक्त को उसके बताए स्थान पर लेकर पहुंची, जहां अभियुक्त ने सड़क के दाहिनी ओर बने एक कमरे के सामने पड़ी ईंटों में छिपाकर रखी गई पॉलिथीन निकालकर पुलिस टीम को दी। पॉलिथीन खोलकर देखने पर उसमें एक अवैध तमंचा 32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त ने बरामद तमंचे को दिनांक 09.11.2026 की घटना में प्रयुक्त करना स्वीकार किया। बरामद तमंचा चालू हालत में है। अभियुक्त को धारा 191(3), 352, 351(3), 125 बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अपराध से अवगत कराते हुए समय 13:45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अतुल शर्मा उर्फ शानू शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा नि0 मौ0 झण्डा कला थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी समय व दिनांक-

दिनांक 17.11.26 को समय 13.45 हाईवे दून स्कूल के पास से।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 207/26 धारा 191(3),352,351(3),125 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 जगत सिंह थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 सहदेव थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 आकाश सैनी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर